

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राककथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – I राज्य सरकार का वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	1.1	1
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	6
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	14
सरकारी व्यय एवं निवेश	1.4	19
परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	1.5	22
ऋण प्रबंधन	1.6	25
अध्याय – II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	27
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	27
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	28
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4	33
निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण	2.5	35
असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय	2.6	35
अनुदान संख्या–21 “शिक्षा विभाग” की समीक्षा	2.7	37
अनुदान संख्या–48 “शहरी विकास एवं आवास विभाग” की समीक्षा	2.8	38
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
व्यक्तिगत जमा खाते	3.1	41
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर	3.2	42
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.3	43
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.4	44
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलंब	3.5	45
उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा नहीं किया जाना	3.6	46
लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	3.7	48
निवेशों/ऋणों प्रत्याभूतियों का असमाशोधन	3.8	49

विषय सूची

विवरण	संदर्भ		
	कंडिका	पृष्ठ	
जमा राशि पर ब्याज की गैर-अदायगी	3.9	49	
राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन	3.10	50	
रोकड़ शेष में अंतर	3.11	50	
नकद शेष एवं नकद शेषों का निवेश	3.12	50	
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजन	3.13	51	
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	3.14	52	
परिशिष्ट			
संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	55
1.2	भाग—क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	56
1.2	भाग—ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	56
1.3	वर्ष 2017–18 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	58
1.4	वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.1.3	61
1.5	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला ऑकड़े	1.2.2	62
1.6	31 मार्च 2018 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.5.1	64
1.7	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनायी गई पद्धति	1.6.2	65
2.1	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	66
2.2	सतत् बचत	2.3.2	68
2.3	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.3	70
2.4	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.4	72
2.5	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	2.3.4	75
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.4	76
2.7	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.5	78
2.8	निधियों का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.5	85

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कांडिका	पृष्ठ
2.9	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत	2.3.7	92
2.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण	2.3.7	93
2.11	मार्च 2018 में सघन व्यय	2.3.8	95
2.12	गैर आकस्मिक खर्चों के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी	2.4	96
2.13	निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण	2.5	98
2.14	शत-प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.5	101
2.15	वर्ष 2017–18 के दौरान असमाशोधित राशि (प्रत्येक मामले में) की विवरणी	2.6	103
2.16	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन (अनुदान सं0– 21)	2.7	108
2.17	अनावश्यक और आधिक्य अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं0–21)	2.7	109
2.18	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं0–21)	2.7	111
2.19	शिक्षा विभाग के लंबित असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र (अनुदान संख्या–21)	2.7	115
2.20	शिक्षा विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या–21)	2.7	116
2.21	दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय की विवरणी (अनुदान संख्या 48)	2.8	117
2.22	निधि का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण की विवरणी (अनुदान संख्या 48)	2.8	119
2.23	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि के अभ्यर्पण की विवरणी (अनुदान संख्या 48)	2.8	120
2.24	सघन व्यय (अनुदान संख्या–48)	2.8	123
2.25	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान संख्या 48)	2.8	126
2.26	असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति (अनुदान संख्या–48)	2.8	127

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.27	उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण (अनुदान संख्या—48)	2.8	128
3.1	विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.1.2	129
3.2	लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियों’ का परिचालन	3.3	131
3.3	लघु शीर्ष 800—‘अन्य व्यय’ का परिचालन	3.3	132
3.4	30.09.2018 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा०क्षें०३०) बकाए लेखे, बिहार सरकार	3.5.1 & 3.5.2	133
3.5	सा०क्षें०३० को वित्तीय सहायता जिनके लेखे बकाये थे	3.5.3	136
3.6	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि	3.6	139
3.7	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2018 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति	3.8	140
संकेताक्षरों की शब्दावली			145